कन्वेंशन क्रमांक 169

स्वतंत्र राष्ट्र में देशज एवं आदिवासी निवासियों के विषय में समझौता*

जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के सम्मेलन और 7 जून, 1989 को अपने 76वें सम्मेलन के दौरान, तथा

देशत्व एवं आदिवासी निवासी कन्वेंशन तथा अनुशंसा, 1957 में निहित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, तथा

नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए पारित मानवाधिकारों के विश्वव्यापी उद्घोषणा की शर्तों, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों की शर्तों को स्मरण करते हुए, तथा

अंतर्राष्ट्रीय कानून में सन् 1957 के बाद आए परिवर्तनों तथा विश्व के सभी भागों में देशज और आदिवासी नागरिकों की स्थिति में आए परिवर्तनों पर विचार करते हुए, जिनके कारण इस विषय पर नए

* यह समझौता 5 सितंबर, 1991 को लागू हुआ था।

अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाना तथा पुराने मानदंडों की सर्वग्राही स्थिति को दूर करना अनिवार्य हो गया, तथा

इन नागरिकों की अपनी संस्थाओं, जीवन–शैलियों और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने तथा अपनी पहचान, भाषाओं तथा धर्मों को अपने–अपने देशों के ढाँचों के अंदर बनाए रखने तथा विकसित करने की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं को पहचानते हुए, तथा

यह ध्यान रखते हुए कि विश्व के अनेक भागों में निवासी अपने देश के अन्य सामान्य निवासियों के समान अपने मौलिक मानवाधिकारों से वंचित हैं और कि उनके विशेष कानूनों, मूल्यों, रीति–रिवाजों और परिप्रेक्ष्यों का व्यापक पैमाने पर ह्रास हो रहा है, तथा

सांस्कृतिक विविधता, मानव समाज तथा पारिस्थितिकीय सामंजस्य और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहमति में देशज एवं आदिवासी निवासियों के विशिष्ट योगदान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए, तथा

यह ध्यान रखते हुए कि इन प्रावधानों का संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न अंतर अमेरिकी–भारतीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में गठन किया गया है और इन प्रावधानों के संवर्धन और विनियोग को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति कायम की गई है, तथा

देशज एवं आदिवासी निवासी कन्वेंशन, 1957 (क्रमांक–107) के आंशिक संशोधन के संदर्भ में कुछ

विशेष प्रस्तावों को स्वीकार करने का निर्णय करने, जो वर्तमान सत्र की कार्यसूची में चौथा विषय है, तथा

यह जानते हुए कि देशज एवं आदिवासी निवासी कन्वेंशन, 1957 में प्रस्तावित संशोधन नए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का रूप ले लेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यह आम सभा वर्ष एक हजार नौ सौ और नवासी के जून माह की सत्ताईसवीं तिथि को इस समझौते को स्वीकार करती है। इस समझौते का देशज एवं आदिवासी निवासी कन्वेंशन, 1989 के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

भाग–I सामान्य नीति

अनुच्छेद–1

1. यह समझौता लागू होता है :
   (क) स्वतंत्र राष्ट्रों में बसे जनजातीय निवासियों पर जिनकी राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों से अलग/विशिष्ट विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है और जिनकी विशिष्ट स्थिति उनके रीति–रिवाजों या परंपराओं अथवा विशेष कानूनों या नियमों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निर्धारित होती है।
   (ख) स्वतंत्र राष्ट्रों में बसे उन निवासियों पर जिन्हें देश या उस भौगोलिक क्षेत्र जिसमें वह देश स्थित है, को उस आबादी का वंशज होने के कारण देशज माना जाता है, जो देश या क्षेत्र के पराधीन होने के अथवा उपनिवेश बनने या राष्ट्र की

वर्तमान सीमाएँ निर्धारित होने के समय से वहाँ बसी हुई थी और जिन्होंने अपनी वैध स्थिति के निरपेक्षतया अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से कायम रखा।

2. देशज या जनजातीय के रूप में स्वयं की पहचान को उन समूहों का पता लगाने के लिए एक मौलिक मानदंड के रूप में माना जाएगा, जिनपर इस समझौते के प्रावधान लागू होते हैं।
3. इस समझौते में प्रयुक्त शब्द 'निवासियों' से अधिकारों के संदर्भ में कोई विशेष अर्थ नहीं लगाया जाएगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस शब्द के साथ जुड़ जाए।

अनुच्छेद–2

1. इन निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने एवं उनकी अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भागीदारी से समन्वित एवं सुव्यवस्थित कार्यवाही विकसित करना सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।
2. इन कार्यों में निम्नलिखित उपायों का समावेश होगा :
   (क) यह सुनिश्चित करना कि इन समुदायों के सदस्यों को भी आबादी के अन्य समुदायों को राष्ट्रीय कानूनों और नियमों द्वारा प्रदत्त तमाम अधिकारों और अवसरों का समान रूप से लाभ मिले।

(ख) इन निवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहचान, उनके रीति–रिवाजों तथा परंपराओं और उनकी संस्थाओं के संदर्भ में पूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा देना।

(ग) देशज एवं अन्य समुदायों के बीच उपस्थित सामाजिक–आर्थिक अंतरों को दूर करने के लिए इन समुदायों के सदस्यों की इस तरीके से सहायता करना जो उनकी महत्त्वाकांक्षाओं और जीवन–शैलियों के अनुरूप हो।

अनुच्छेद–3

1. देशज एवं जनजातीय निवासी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का बिना किसी अड़चन या भेदभाव के पूरी तरह उपयोग करेंगे। समझौते के प्रावधान इन समुदायों के नर एवं मादा सदस्यों पर बिना भेदभाव समान रूप से लागू होंगे।
2. इस समझौते में निहित अधिकारों सहित इन समुदायों के मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह के बल या लालच का उपयोग नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–4

1. आवश्यकता पड़ने पर इन समुदायों के सदस्यों, संस्थाओं, संपत्तियों, श्रम, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय किए जाएँगे।
2. ये उपाय इन समुदायों की इच्छा के विपरीत कभी नहीं किए जाएँगे।
3. नागरिकता के सामान्य अधिकारों के भेदभाव रहित उपयोग के साथ ऐसे विशेष उपायों द्वारा किसी भी तरह से पक्षपात नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद–5

इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने के दौरान :

(क) इन निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों और प्रथाओं की पहचान की जाएगी एवं उनका संरक्षण किया जाएगा, तथा उन समस्याओं को भी पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा जो ये समुदाय व्यक्तिगत रूप से या समूह में झेलते हैं।

(ख) इन निवासियों के मूल्यों, प्रथाओं और संस्थाओं की अखंडता का सम्मान किया जाएगा।

(ग) जीवन व कार्यों की नई परिस्थितियों में इन निवासियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रभावित निवासियों की भागीदारी और सहयोग से नीतियाँ अपनाई जाएँगी।

अनुच्छेद–6

1. इस समझौते के प्रावधानों को लागू करते समय सरकारें :
   (क) उचित प्रक्रियाओं, विशेषकर प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से संबंधित निवासियों के साथ विचार–विमर्श करेंगी, विशेषकर उन वैधानिक या प्रशासनिक उपायों पर जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हों।
   (ख) उन साधनों को स्थापित करेंगी जिनके द्वारा ये निवासी भी जनसंख्या के अन्य वर्गों के समान ही सभी स्तरों पर फैसले लेने, विधायी व प्रशासनिक निकायों, जो उनके हित में नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करें, के चुनाव जैसी प्रक्रियाओं में मुक्त रूप से भागीदारी कर सकें।
   (ग) इन निवासियों की निजी संस्थाओं और उपक्रमों के पूर्ण विकास के लिए साधनों को स्थापित करेंगी और उपयुक्त विषयों में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएँगी।
2. इस समझौते को लागू करने के लिए नेक–नीयति और परिस्थितियों के अनुकूल तरीके से प्रस्तावित उपायों पर सहमति हासिल

करने के उद्देश्य से विचार–विमर्श किया जाएगा।

अनुच्छेद–7

1. संबंधित निवासियों को विकास प्रक्रिया के लिए अपनी प्राथमिकताएँ तय करने का पूरा अधिकार होगा क्योंकि यह उनकी जिंदगियों, विश्वासों, संस्थाओं और आध्यात्मिक कल्याण उनकी भूमि को प्रभावित करती है और उन्हें यथासंभव अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नियंत्रित करने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा वे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए बननेवाली सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रतिपादन, कार्यान्वयन और आकलन में भागीदारी भी करेंगे, जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं।
2. उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए, जिनमें ये समुदाय निवास करते हैं, संबंधित निवासियों के जीवन व कार्य की परिस्थितियों और उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार को मुख्य प्राथमिकता बनाया जाएगा। इन विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में इन समुदायों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों के विकास और इन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष परियोजनाएँ भी निर्धारित की जाएँगी।
3. समय–समय पर सरकारें निवासियों के ऊपर योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों के सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय असर

को जानने के लिए उनके सहयोग से अध्ययन करवाएँगी। इन अध्ययनों के परिणामों को इन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मूलभूत मानदंड के रूप में अपनाया जाएगा।

4. संबंधित निवासियों के सहयोग से इन समुदायों के निवास स्थलों और क्षेत्रों के पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सरकारें उपाय करेंगी।

अनुच्छेद–8

1. संबंधित निवासियों पर राष्ट्रीय कानूनों और नियमों को लागू करते समय इन समुदायों के रीति–रिवाजों या परंपरागत कानूनों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
2. अपने रीति–रिवाजों और संस्थाओं को कायम रखने का इन निवासियों को अधिकार होगा, बशर्ते कि ये रीति–रिवाज राष्ट्रीय विधायी प्रणाली द्वारा परिभाषित मौलिक अधिकारों और अंत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानवाधिकारों के विरुद्ध न हों; जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ इस सिद्धांत को लागू करने के दौरान उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए उचित प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 एवं 2 के कार्यान्वयन से इन निवासियों द्वारा अन्य सभी नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने तथा संबंधित कर्तव्यों का निर्वहण करने पर कोई रोक नहीं होगी।

अनुच्छेद–9

1. संबंधित समुदायों के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों का निबटारा करने के लिए इनके परंपरागत तरीकों का समुचित आदर किया जाएगा, बशर्ते कि ये तरीके राष्ट्रीय विधि प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानवाधिकारों का विरोध न करते हों।
2. कानूनी मुद्दों के संदर्भ में इन निवासियों की प्रथाओं का प्राधिकरणों और अदालतों द्वारा ऐसे मामलों में विचार करते वक्त पूरा ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद–10

1. सामान्य कानूनों द्वारा इन समुदायों के सदस्यों पर अर्थ दंड लगाए जाने की स्थिति में इन निवासियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
2. इन निवासियों को जेल में बंद करने की बजाय सजा के अन्य तौर–तरीकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुच्छेद–11

कानून द्वारा सभी नागरिकों के लिए निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर, संबंधित निवासियों के सदस्यों से सशुल्क या निःशुल्क अनिवार्य निजी सेवाओं के बदले किसी तरह का भुगतान वसूल करने पर रोक होगी और ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अनुच्छेद–12

संबंधित निवासियों के अधिकारों के दुरुपयोग से रक्षा की जाएगी और ये निवासी इन अधिकारों को प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे। यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएँगे कि इन समुदायों के सदस्य कानूनी प्रक्रिया को समझ सकें और अपनी बात समझा सकें। आवश्यकता होने पर इस कार्य के लिए दुभाषिए या अन्य प्रभावशाली साधनों का प्रावधान किया जाएगा।

भाग–II भूमि

अनुच्छेद–13

1. समझौते के इस भाग के प्रावधानों को लागू करते समय सरकारें संबंधित निवासियों के उनके उस भूमि या क्षेत्र से जिसमें वे निवास करते हैं या जिसका वे उपयोग करते हैं, संबंधों, विशेषकर इन संबंधों के सामूहिक पहलुओं के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में विशेष महत्त्व का समुचित आदर करेंगी।

2. अनुच्छेद 15 और 16 में प्रयुक्त शब्द 'भूमियों' में प्रदेशों की वह संकल्पना शामिल है जिसमें उस क्षेत्र का संपूर्ण पर्यावरण समाहित है जिसमें संबंधित निवासी बसते हैं या अन्य तरीकों से उपयोग करते हैं।

अनुच्छेद–14

1. उन भूमियों पर संबंधित निवासियों के स्वामित्व एवं आधिपत्य के अधिकारों को मान्यता दी जाएगी जिनपर वे परंपरागत रूप से बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त समुचित मामलों में संबंधित निवासियों के उन भूमियों के उपयोग के अधिकार की रक्षा करने के उपाय किए जाएँगे जिनपर वे बसे तो नहीं हैं लेकिन जीवन–यापन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उनका परंपरागत रूप से उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में कबीलाई निवासियों और घुमंतु खेतिहरों की दशा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2. आवश्यकता पड़ने पर सरकारें उन भूमियों की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँगी जिनपर संबंधित निवासी परंपरागत रूप से बसे हुए हैं और इन भूमियों पर उनके स्वामित्व और आधिपत्य के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा सुनिश्चित करेंगी।
3. संबंधित निवासियों द्वारा भूमि पर दावों के निबटान के लिए राष्ट्रीय विधि व्यवस्था में पर्याप्त प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी।

अनुच्छेद–15

1. संबंधित निवासियों के उनकी भूमियों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की विशेष रूप से रक्षा की जाएगी। इन अधिकारियों में इन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण में इन निवासियों की भागीदारी का अधिकार शामिल है;
2. ऐसे मामलों में जहाँ भूमियों में पाए जानेवाले खनिजों या अन्य भूमिगत संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास है, सरकारें इन भूमिगत संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व उन प्रक्रियाओं की स्थापना करेंगी या उन्हें कायम रखेंगी, जिनसे इन निवासियों से सलाह–मशविरा कर उनके हितों की बिना भेदभाव समुचित रक्षा हो सके; जहाँ कहीं संभव हो वहाँ संबंधित निवासी इन गतिविधियों के लाभों में शामिल रहेंगे और इन गतिविधियों से उनकी भूमियों को होनेवाले नुकसान के बदले में उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद–16

1. इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैरा की शर्तों के अनुसार, संबंधित निवासियों को उन भूमियों से नहीं हटाया जाएगा जिन पर वे बसे हुए हैं।
2. असाधारण उपाय के रूप में जहाँ कहीं इन निवासियों का विस्थापन आवश्यक हो, यह विस्थापन उनकी मुक्त और अनौपचारिक सहमति से ही किया जाएगा। जहाँ कहीं उनकी सहमति न हासिल की जा सके वहाँ ऐसा विस्थापन राष्ट्रीय कानूनों और नियमों द्वारा स्थापित उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाएगा। उचित अवसरों पर सार्वजनिक जाँच प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाएगा, जिसमें संबंधित निवासियों को प्रभावशाली ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
3. जहाँ कहीं संभव हो वहाँ विस्थापन के कारणों के समाप्त होने पर इन निवासियों को अपनी परंपरागत भूमियों पर लौटने का पूरा अधिकार होगा।
4. समझौते के अनुसार या समझौते के अभाव में जहाँ इन निवासियों का परंपरागत भूमियों पर लौटना संभव न हो ऐसे सभी संभव मामलों में उन्हें भूमियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी जो गुणवत्ता और संवैधानिक स्थिति में उनकी परंपरागत भूमियों के समान हों और जो उनकी वर्तमान जरूरतों और भावी विकास के सर्वथा अनुकूल हो। जहाँ कहीं संबंधित निवासी धन या संपत्ति के रूप में मुआवजा लेना चाहें वहाँ

उन्हें उचित प्रत्याभूतियों के अधीन इसी रूप में मुआवजा दिया जाएगा।

5. विस्थापित निवासियों को प्रक्रिया के दौरान होनेवाले नुकसान या दुर्घटना के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी।

अनुच्छेद–17

1. संबंधित निवासियों द्वारा इन समुदायों के सदस्यों के बीच भूमि अधिकारों के हस्तांतरण के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाएगा।
2. भूमियों पर से अधिकारों का समर्पण करने या अपने समुदाय से बाहर हस्तांतरित करने की क्षमता पर विचार करने के लिए संबंधित निवासियों के साथ सलाह–मशविरा किया जाएगा।
3. ऐसे व्यक्तियों को, जो इन निवासियों से संबंधित नहीं हैं, उनके रीति–रिवाजों या कानूनों के बारे में अनभिज्ञता का अनुचित लाभ लेने और उनकी भूमि पर कब्जा करने, अधिकार जमाने या उपयोग करने से रोका जाएगा;

अनुच्छेद–18

संबंधित निवासियों की भूमियों का अनाधिकृत अतिक्रमण या उपयोग करने के खिलाफ कानून द्वारा पर्याप्त दंड का विधान किया जाएगा, और सरकारें ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए समुचित उपाय करेंगी।

अनुच्छेद–19

निम्नलिखित के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रमों द्वारा संबंधित निवासियों के साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो जनसंख्या के अन्य वर्गों के साथ किया जाता है :

(क) इन निवासियों के लिए और अधिक भूमि का प्रावधान यदि उनके पास सामान्य जीवन–यापन करने या भविष्य में आबादी बढ़ने के साथ निर्वाह करने योग्य भूमि न हो।

(ख) इन निवासियों के अधिकार वाली भूमियों का विकास करने के लिए जरूरी साधनों का प्रावधान।

भाग–III नियोजन एवं रोजगार की परिस्थितियाँ

अनुच्छेद–20

1. राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के ढाँचों के अंतर्गत और संबंधित निवासियों के सहयोग से सरकारें नियोजन एवं रोजगार की परिस्थितियों के संदर्भ में इन समुदायों के कर्मिकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए विशेष उपाय करेंगी बशर्ते कि कर्मिकों की रक्षा करने वाले सामान्य कानूनों में उनकी प्रभावशाली तरीके से रक्षा न की गई हो।
2. संबंधित समुदायों के कर्मिकों और सामान्य कर्मिकों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव को

रोकने के लिए सरकारें यथासंभव उपाय करेंगी, विशेषकर निम्नलिखित के संदर्भ में :

(क) कुशल रोजगार सहित, रोजगार के सभी क्षेत्रों में प्रवेश तथा तरक्की और उन्नति के लिए उपाय।

(ख) समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक।

(ग) चिकित्सकीय एवं सामाजिक सहायता, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के सभी लाभ और व्यवसाय संबंधी अन्य लाभ तथा घर।

(घ) एसोसिएशन बनाने तथा यूनियन संबंधी तमाम कानूनन वैध गतिविधियाँ चलाने की स्वतंत्रता तथा नियोक्ताओं या नियोक्ताओं के संगठनों के साथ सामूहिक करार को समाप्त करने का अधिकार।

3. सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों में निम्नलिखित सुनिश्चित करने के उपाय शामिल होंगे कि :

(क) मौसमी, अनियमित और अप्रवासी श्रमिकों के रूप में कृषि व अन्य रोजगारों में संलग्न तथा ठीकेदारों द्वारा नियुक्त संबंधित समुदायों के श्रमिकों को भी समान क्षेत्र में संलग्न अन्य कर्मिकों की भाँति ही राष्ट्रीय कानून द्वारा संरक्षण का लाभ प्राप्त हो और श्रम नियमों के अंतर्गत उन्हें अपने अधिकारों और क्षतिपूर्ति के साधनों की समुचित जानकारी है;

(ख) इन समुदायों के श्रमिकों को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक परिस्थितियों में काम नहीं

करना पड़ रहा है, विशेषकर कीटनाशकों और अन्य विषैले पदार्थों से उनका संपर्क नहीं हो रहा है;

(ग) इन समुदायों के श्रमिकों की बँधुआ मजदूरों और किसी भी तरह के बेगार काम के लिए जबरन भरती नहीं हो रही है;

(घ) इन समुदायों के कर्मिकों को स्त्री–पुरुषों के लिए रोजगार के समान अवसरों का लाभ मिल रहा है और कार्यक्षेत्र में दैहिक शोषण से उन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।

4. इस समझौते के इस भाग के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन कार्य स्थलों में पर्याप्त श्रम निरीक्षण सेवाओं को स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा जहाँ इन समुदायों के सदस्य दैनिक भत्तों के आधार पर रोजगार में संलग्न हैं।

भाग–IV व्यावसायिक प्रशिक्षण, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग

अनुच्छेद–21

व्यावसायिक प्रशिक्षण उपायों के संदर्भ में संबंधित समुदायों के सदस्यों को भी अन्य नागरिकों के समान अवसरों का लाभ मिलेगा।

अनुच्छेद–22

1. सामान्य रोजगार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संबंधित समुदायों के सदस्यों की

स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाएँगे।

2. जहाँ कहीं सामान्य रोजगार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित निवासियों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होंगे वहाँ इन निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सुविधाओं के प्रावधान को सरकारें सुनिश्चित करेंगी।

3. ऐसा कोई भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित निवासियों की आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं पर आधारित होगा। इस संबंध में किए जानेवाले अध्ययन भी इन निवासियों के सहयोग से चलाए जाएँगे और ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन में इनकी सलाह ली जाएगी। जहाँ कहीं संभव हो और यदि वे चाहें तो ऐसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन की सारी जिम्मेदारियाँ इन निवासियों पर डाल दी जाएँगी।

अनुच्छेद–23

1. हस्तशिल्प, ग्रामीण एवं समुदाय–आधारित उद्योगों, निर्वाह अर्थव्यवस्था और संबंधित निवासियों की परंपरागत गतिविधियों जैसे शिकार, मछली मारना और वनोपज के एकत्रीकरण को उनकी संस्कृतियों की रक्षा तथा आर्थिक आत्म–निर्भरता और विकास में महत्त्वपूर्ण कारकों के रूप में मान्य होंगे। इन

निवासियों के सहयोग से और जहाँ कहीं उचित होगा सरकारें इन गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन प्रयासों को सुनिश्चित करेंगी।

2. संबंधित निवासियों के आग्रह पर और जहाँ कहीं संभव हो समुचित तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएँगी। ऐसा करते समय इन निवासियों के परंपरागत तकनीकी ज्ञान और संस्कृतियों के साथ निर्वाह और न्यायसंगत विकास का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

भाग–V सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

अनुच्छेद–24

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का धीरे–धीरे विस्तार कर संबंधित निवासियों को इनके दायरे में लाया जाएगा और इन्हें इन निवासियों पर बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद–25

1. सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित निवासियों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ या उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायेंगी ताकि ये निवासी स्वयं के उत्तरदायित्व और नियंत्रण में इन सेवाओं की रूप रेखा तैयार कर उन्हें स्वयं के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानक हासिल करने में उपयोग कर सकें।

2. स्वास्थ्य सेवाएँ यथासंभव समुदाय–आधारित होंगी। इन स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाएँ तैयार करने और इन्हें लागू करने में संबंधित निवासियों का सहयोग लिया जाएगा और इनमें उनकी आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के साथ–साथ उनकी परंपरागत निरोधक व चिकित्सा विधियों और औषधियों को ध्यान में रखा जाएगा।
3. स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी, और स्वास्थ्य सेवाओं के अन्य स्तरों के साथ दृढ़ संबंध बनाए रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
4. इन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को देश में मौजूद अन्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपायों के साथ जोड़ा जाएगा।

भाग–VI शिक्षा एवं संचार के साधन

अनुच्छेद–26

यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएँगे कि संबंधित समुदायों के सदस्यों को भी सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने या कम–से–कम अन्य समुदायों के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हों।

अनुच्छेद–27

1. संबंधित निवासियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम एवं सेवाएँ उनके सहयोग से विकसित व लागू किए जाएँगे और उनमें इन निवासियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा और उनमें इनके इतिहास, ज्ञान, तकनीकों, मूल्यों, व्यवस्थाओं और भावी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्वाकांक्षाओं का समावेश होगा।
2. सक्षम प्राधिकरण इन समुदायों के सदस्यों के प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगी ताकि उपयुक्त अवसर आने पर इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इन निवासियों को सौंपी जा सके।
3. इसके अतिरिक्त सरकारें इन निवासियों के निजी शिक्षण संस्थाओं और सुविधाओं को स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देंगी बशर्ते कि ऐसे संस्थान उन न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों जो किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा

इन निवासियों की सलाह से तय किए गए हों। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएँगे।

अनुच्छेद–28

1. जहाँ कहीं व्यावहारिक रूप से संभव होगा वहाँ इन निवासियों के बच्चों के उनकी मातृभाषा या उनके समुदाय की सर्वाधिक प्रचलित भाषा में लिखना–पढ़ना सिखाया जाएगा। जहाँ व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं होगा वहाँ सक्षम प्राधिकरण इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन निवासियों के साथ विचार–विमर्श करेंगी।
2. यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाएँगे कि इन निवासियों को राष्ट्रीय भाषा या देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक में महारथ हासिल हो सके।
3. संबंधित निवासियों की देशज भाषाओं के विकास और चलन को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए उपाय किए जाएँगे।

अनुच्छेद–29

इन निवासियों के लिए शिक्षा का एक उद्देश्य होगा कि उनके बच्चों को सामान्य ज्ञान और ऐसे कौशल प्रदान किए जाएँ जिससे वे अपने समुदाय में तथा राष्ट्रीय समुदाय के समकक्ष समान रूप से भागीदारी कर सकें।

अनुच्छेद–30

1. संबंधित निवासियों को विशेषकर श्रम, आर्थिक अवसरों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण के क्षेत्रों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों तथा इस समझौते द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बोध कराने के लिए सरकारें समुचित उपाय करेंगी।
2. यदि आवश्यक हो तो लिखित अनुवादों तथा इन निवासियों की भाषाओं में जनसंचार के माध्यमों और साधनों को इस उद्देश्य की पूर्ति में उपयोग किया जाएगा।

अनुच्छेद–31

इन निवासियों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय समुदाय के सभी वर्गों, विशेषकर उन वर्गों के बीच शैक्षणिक उपाय किए जाएँगे, जो संबंधित निवासियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएँगे कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्रियाँ इन निवासियों के समाजों और संस्कृतियों का सही, सटीक और सूचनाप्रद चित्रण करती हैं।

भाग–**VII** सीमाओं के आर–पार संपर्क एवं सहयोग

अनुच्छेद–32

अंतर्राष्ट्रीय सहमति के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के आर–पार बसे देशज

व जनजातीय निवासियों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए सरकारें समुचित उपाय करेंगी।

भाग–VIII प्रशासन

अनुच्छेद 33

1. इस समझौते में लिए गए मुद्दों के लिए जिम्मेदार सरकारी प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निवासियों को प्रभावित करनेवाले कार्यक्रमों के प्रशासन और उन्हें अमल में लाने के लिए एजेंसियों या अन्य उचित शासन तंत्रों का गठन किया जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन एजेंसियों के पास उनको सुपुर्द कार्यों के उचित निर्वहण के लिए पर्याप्त आवश्यक साधन उपलब्ध हैं।
2. इन कार्यक्रमों में शामिल हैं :
   (क) संबंधित निवासियों के सहयोग से इस समझौते में शामिल प्रावधानों की योजना तैयार करना, समन्वयन करना, उनका निष्पादन एवं मूल्यांकन करना।
   (ख) सक्षम प्राधिकरणों को विधानों और अन्य उपायों को सुझाना तथा संबंधित निवासियों के सहयोग से इन उपायों के अमल पर निगरानी करना।

भाग–IX सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद–34

इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए उपायों के स्वभाव और प्रयोजनों को प्रत्येक राष्ट्र की विशिष्ट

परिस्थितियों के अनुसार लचीले रूप से निर्धारण किया जाएगा।

अनुच्छेद–35

इस समझौते के प्रावधानों पर अमल करते समय उन संबंधित निवासियों के हितों और अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनके लिए अन्य समझौतों एवं सुझावों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, राष्ट्रीय कानूनों, पंचायतों, प्रथाओं पर सहमतियों के अंतर्गत कल्याण कार्य किए जा रहे हैं।

भाग–X समापक प्रावधान

अनुच्छेद–36

इस समझौते से देशज एवं जनजातीय समझौता, 1957 का संशोधन होता है।

अनुच्छेद–37

इस समझौते का औपचारिक अनुसमर्थन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक के पास पंजीकरण के लिए भेजा जाएगा।

अनुच्छेद–38

1. सिर्फ वही सदस्य इस समझौते का पालन करने को बाध्य होंगे जिनके अनुसमर्थन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के पास पंजीकृत होंगे।

2. कम–से–कम दो सदस्यों के अनुसमर्थन महानिदेशक के पास पंजीकृत होने की तिथि के बारह महीनों बाद यह समझौता लागू हो जाएगा।
3. उसके बाद से नए सदस्यों के लिए यह समझौता उनके अनुसमर्थन के महानिदेशक के पास पंजीकृत होने की तिथि के बारह महीनों बाद लागू होगा।

अनुच्छेद–39

1. ऐसा कोई सदस्य जो इस समझौते का अनुमोदन कर चुका हो इस समझौते के पहली बार लागू होने की तिथि के दस वर्ष बाद इससे अलग हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना अनुसमर्थन वापस लेने की सूचना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक को पंजीकरण के लिए प्रेषित करनी होगी। पंजीकरण की तिथि के एक वर्ष बाद उक्त सदस्य को समझौते से अलग माना जाएगा।
2. ऐसा कोई सदस्य जिसने इस समझौते का अनुसमर्थन किया है और पूर्व पैरा में उल्लिखित दस वर्षों की समय सीमा के बाद अपने अलग होने के अधिकार का उपयोग नहीं करता है तो वह इस समझौते के प्रावधानों का अगले दस वर्षों तक पालन करने को बाध्य होगा। इसके बाद ही वह इस अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार इस समझौते से अलग हो सकता है।

अनुच्छेद–40

1. अंत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक संगठन के सभी सदस्यों द्वारा प्रेषित अनुसमर्थनों और अलग होने की सूचनाओं के पंजीकरण के बारे में सभी सदस्यों को सूचित करेंगे।
2. दूसरे अनुसमर्थन के पंजीकरण की सूचना प्राप्त होने के बारे में संगठन के सदस्यों को सूचित करते समय महानिदेशक समझौते के लागू होने की तिथि के बारे में भी संगठन के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करेंगे।

अनुच्छेद–41

अंत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र के अनुच्छेद–102 के अनुसार पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए प्राप्त सभी अनुसमर्थनों और अलग होने की सूचनाओं के पूर्ण विवरण के बारे में सूचित करेंगे।

अनुच्छेद–42

समय–समय पर और आवश्यकता महसूस होने पर अंत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का प्रशासनिक निकाय संयुक्त राष्ट्र महा सभा को इस समझौते के कार्यान्वयन के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और इसके पूर्ण या आंशिक संशोधन की आवश्यकता के प्रश्न को

महासभा द्वारा विचार के लिए कार्यसूची में शामिल करेगा।

अनुच्छेद–43

1. यदि इस समझौते का आंशिक या पूर्णतः संशोधन कर महासभा नए समझौते को अपनाती है तो नए समझौते को :
   (क) एक सदस्य का अनुसमर्थन प्राप्त होने पर भी उपरोक्त अनुच्छेद–39 के प्रावधानों के अनुसार उक्त सदस्य के लिए यह समझौता तत्काल विधितः निरस्त्र माना जाएगा और नया समझौता प्रभावी हो जाएगा;
   (ख) नए संशोधित समझौते के लागू होने की तिथि से वर्तमान समझौता सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के लिए खुला नहीं रहेगा।
2. अन्य परिस्थितियों में यह समझौता अपने वास्तविक स्वरूप और अंशों सहित उन सदस्यों के लिए लागू रहेगा जो इसका अनुसमर्थन कर चुके हैं और जिन्होंने संशोधित समझौते का अनुमोदन नहीं किया है।

अनुच्छेद–44

इस समझौते के मूलपाठ की अंग्रेजी और फ्रांसिसी अनुवाद समान रूप से प्रामाणिक हैं।